

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)
संख्या :- 329/2023
पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

सुखवन्त कौर पत्नी सुखमन्द्र सिंह जाति जटसिख सा.मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया। वादीया
बनाम्

सुखवन्त सिंह पुत्र जगरूप सिंह पुत्र महासिंह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।

सुखवन्त सिंह पुत्र जगरूप सिंह पुत्र महासिंह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।

सुखवन्त सिंह उर्फ कालासिंह पुत्र जगरूपसिंह पुत्र महासिंह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सि. तह. संगरिया

सुखवन्त सिंह पुत्र कृपाल सिंह (फौत)

सुखवन्त सिंह पुत्र इकबाल सिंह जाति जटसिख सा. मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।

सुखवन्त सिंह पुत्र इकबालसिंह जाति जटसिख सा.मोरजण्ड सिखान तहसील संगरिया।

सुखवन्त सिंह पुत्र राजस्व संगरिया।

डिक्री

प्रतिवादीगण
दिनांक :- 21.8.2025

राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू
नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील वादी मिन जामिन मुदईमिन जानिब मुदायला

दिया जाता है एव तहसीलदार भूअ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री
नुसार दी जाती है:-

कमलजीत कौर 2 सुखवन्त सिंह 3 कौर 4 इकबाल सिंह 5 कौर पत्नि इकबाल सिंह बहिब 0.253 हि. 6 जगरूप सिंह पुत्र महा सिंह 0.159 हि. 7 कौर पत्नि सुखमन्द्र सिंह 0.411 हि. राहिन एक्सिस बैंक शाखा संगरिया जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान	प.मं. अमरपुराजालू के चक 14 एएमपी के खाता सं. 109/88 खाते का योग 0.823 हैक. (विवादित श्रेणी का नही है)	सुखवन्त कौर पत्नि सुखमन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान	प.न. 144/165 मु.न. 4 का कि.न. 15/2/0.026 गै.मु. रास्ता, 16/1/0.215, 16/2/0.038 गै.मु. रास्ता, 17/0.228, 18/0.063 कुल-0.570 हेक्.
		1 कमलजीत कौर 2 मक्खन सिंह 3 रुपिन्द्र कौर 4 सुलखन सिंह पि. इकबाल सिंह 5 सुखदेव कौर पत्नि इकबाल सिंह बहिब जाति जट सिख निवासी मोरजण्ड सिखान	प.न. 144/165 मु.न. 4 का कि.न. 6/0.013, 14/0.038, 15/1/0.190 15/2/0. 012 गै.मु. रास्ता, कुल-0.253 हेक्.

अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है
फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित
करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है
तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने के आदेश
दिये जाते हैं। तहसीलदार भूअ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भूअ./2024/1248 दिनांक 21.04.2025
द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन
करेगा। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का
अमल दरामद कर दिया जावे।

निज मुब्लिक बाबत खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की
तारीख से तारीख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.8.2025 को खुले न्यायालय में जारी
किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया